e-ISSN:2582-7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 6, Issue 12, December 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.54

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| A Monthly, Double Blind Peer Reviewed Journal|

| Volume 6, Issue 12, December 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0612040 |

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

टुपेश कुमार कोसमा, डा॰ मालती तिवारी

शोधार्थी- राजनीति विज्ञान, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, भारत

विभागाध्यक्ष-राजनीति विज्ञान, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद, भारत

प्रस्तावना: हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनमें महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय भारत की लोक भावना और समाज की सांस्कृतिक विरासत की मूल भावना का प्रतीक है।

वैदिक युग से ही भारत के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका अहम रही है। वर्तमान में संविधान के **73** वें संशोधन के माध्यम से देश में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था का जो नया स्वरूप सामने आया है वह एक सुखद शुरूआत है। ग्रामीण विकास में जितनी पंचायती राज की है उतनी महिलाओं की भी है। महिलाओं के भागीदारी के परिणाम स्वरूप गांव के विकास एवं प्रगति के मार्ग खुल रहे हैं, महिला पंचायत पदाधिकारी अपनी दक्षता, महत्ता और उपादेयता भी साबित कर रही है। ग्रामीण महिलाएं अब स्वेच्छा से चुनाव लड़ती है, और सरपंच पद के अनुरूप कार्य भी करने में सफल हो रही है, इसका प्रभाव परिवार और ग्रामीण संस्कृति पर सकारात्मक पड़ रहा है।ग्रामीण विकास में साक्षरता और स्वास्थ्य के कार्यों को महिलाएँ अधिक अहमियत दे रही है। सड़क, अस्पताल, स्कूल, हैण्डपम्प और आय बढ़ाने वाली योजनाओं को लागू करने में महिलाओं की दिलचस्पी का कारण यह है कि ये बातें उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी से सीधे जुड़ी है, साथ ही साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहन करने का कार्य भी करती है।

पंचायतों की संचालन का बागडोर महिलाओं के हाथ होने के फलस्वरूप इनमें स्वतंत्र व्यक्तित्व की

भावना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अविर्भाव हो रहा है वे मोहरों के तौर पर इस्तेमाल होने से बचने लगी है, महिलाओं की कार्यक्षमता में बदलाव, कार्य के प्रति गंभीरता और अपनी बातों को सटीक ढंग से रखने की क्षमता बढ़ी है, महिलाएँ अब बहस-मुबाहिशा, तर्क-विर्तक में बराबर हिस्सा लेने लगी हैं वे अपना पथ पूरी निर्भीकता एवं निष्पक्षता से पटल पर रखती है। यदि महिलाओं को नेतृत्व का अवसर के साथ काम करने का प्रशिक्षण भी दिया जाय तो पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्यों को सम्पन्न करने में सफल होंगी और इस क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रचने में सक्षम होंगी।

73 वें संविधान अधिनियम में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान किया।

73 वें संविधान संशोधन से पूर्व महिलाओं ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि पंचायती सत्ता में कभी उनका भी सरताज होगा। जैसे ही सीटों का आरक्षण हुआ परमपरागत ग्रामीण सत्ताधारियों को ऐसे अभिकर्ताओं की आवश्यकता हुई ताक उनके कहे अनुसार ही राजकाज चलाये और यही कारण रहा कि आनन फानन में पेचायती सत्ता तो उनके हाथों में आ गई किन्तु किसी प्रकार का राजनैतिक अनुभव इसके पास नहीं था। हमारे देश की 50 प्रतिशत महिलाएँ अशिक्षित हैं। किसी भी पंचायत के सरपंच को प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यों के लिए 2 सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता होती है। सचिव तथा विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत का सचिवएक सरकारी कर्मचारी होता है। उसे सभी दस्तावेज, बैंक खातों के रखरखाव, लिखा पढ़ी के काम करने होते है किन्तु चुन कर आई महिला सरपंच को मिला एक सील, पेड और खाली रजिस्टर सभी कागजात ताले बंद और चाबी सचिव महाधीश बने बैठे हैं ये सचिव भी पंचायत के प्रति वफादार नहीं है। दूसरा विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) उसके पास समस्या लेकर पहुँचने पर अधिकांश समस्याओं का हल वहीं हो जाता किन्तु अधिकारी कार्य को टाल जाते है। एक उच्च शिक्षित अधिकारी भी समझता है कि कम पढ़ी लिखी महिला को कितना सम्मान देना चाहिए, गाँव में बी. डी. ओ. आते हैं किन्तु सरपंच, सचिव या प्रभावशाली लोगों से मिलकर चले जाते है। महिला वार्ड पंचों के मतों का कोई मोल नहीं होता।

ग्राम सुविधाओं संबंधी कार्यों के प्रति पंचायत, जल आपूर्ति एवं साक्षरता कार्यक्रमों में यह महिलाएँ अधिक हिस्सा लेती है। आर्थिक विकास संबंधी कार्यों में बचत की भावनाओं को प्रोत्साहन करना, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना इनका मुख्य ध्येय हैं किन्तु पंचायत की वित्तीय सुधारने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने, गरीब उन्मुलन एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के तरफ महिला नेतृत्व का ध्यान बहुत कम गया है। फिर भी आजादी के मुक्तांगन में सदियों से दबी कुचली भारतीय नारी का पंचायती राज व्यवस्था के तहत

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.54| A Monthly, Double Blind Peer Reviewed Journal|

| Volume 6, Issue 12, December 2023 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0612040 |

राजनीतिक रंगमंच पर अवतरण का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है अतएवं पंचायती राज व्यवस्था एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विकास के नये आयाम प्राप्ति की दिशा में प्रशस्त होगी।

भारतीय धर्म शास्त्रों में नारी को देवी का स्थान दिया गया है हमारे देश में महिलाओं की कुल संख्या 48 प्रतिशत से अधिक है जन संख्या की इतने बड़े भाग का विकास किये बगैर देश की प्रगति के शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता। हमारे देश में राजनैतिक के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी निराशा जनक है जनसंख्या में पुरूषों के बराबर स्थान रखने वाली महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व मात्र लगभग 7-8 प्रतिशत है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज पंचायती राज में 73 वें संविधान संशोधन के तहत् 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की भागीदारी प्रदान की गई है। प्रश्न उठता है कि क्या वह व्यवस्था कितनी कारगर हुई है अपेक्षित सफलताओं और असफलताओं अर्थात महिलाओं की भागीदारी को इस लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया।

यदि भारत में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करे तो इनकी स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत दयनीय है वहाँ स्त्रियों की मृत्युदर विकसित देशों की तुलना में 50 गुना अधिक है बीमारी एक ही होने पर भी 7600 लड़कों की तुलना में 6000 लड़कियों को अस्पताल लाया जाता है यहाँ 13.2 प्रतिशत लड़कों की तुलना में 19.5 प्रतिशत लड़कियाँ तृतीय श्रेणी के कुपोषण से ग्रस्त है।

अन्ततः पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व को औरअधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है –

1. महिला प्रतिनिधियों को शिक्षा के लिए केन्द्र खोले जाने चाहिए।
2. महिला प्रतिनिधियों को अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग बनाने के लिए गांव स्तर पर ही प्रशिक्षण कीव्यवस्था ।
3. महिला प्रतिनिधियों को परिवार पति, बड़े बुर्जगों का पूर्ण अपेक्षित हो ।
4. समक्ष भागीदारी हेतु आरक्षण के व्यवस्था के साथ साथ एक न्यूनतम शैक्षणिक निर्धारित हो ।
5. जाति धर्म छुआ-छूत की भावना का अंत हो जिससे निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि भी आगे आ सके।
6. पुरुष पंचो, सरपंचो द्वारा महिला प्रतिनिधियों के सुझाव को महत्व दे एवं ग्राम पंचायत भवन गांव में ही रहे।

सन्दर्भग्रंथ सूची

1. मीना, डा0लक्ष्मी नारायण, पंचायती राज तथा जनप्रतिनिधित्वः दशा एवं दिशा लिट्रेरी सर्किल, जयपुर, 2011।
2. कलकल, स्नेहलता ग्रामीण नेतृत्व की उभरती प्रवृत्तियॉ, क्लासिक पब्लिकेशन्स, 2001।
3. महीपाल पंचायती राज चुनौतियॉ एवं संभावनाए◌ं, नेशनलबुक ट्रस्ट, नईदिल्ली, 2011।
4. मोदी, अनिता पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव जयपुर, 2009।
5. डा0 शालिनी पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता शक्ति का विकेन्द्रीकरण,
6. महिलाओं के सन्दर्भ में अध्ययन, नवजीवन पब्लिकेशन, निवाई (टोंक), 2006,
7. आर्यसाधना मेमन, निवेदित ''नारीवाद राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे'', 2001, दिल्ली विश्वविद्यालय।
8. अग्रवाल डॉ. आर.सी. भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, 1962,एस. चंद एण्ड कम्पनी लिमिटेड।
9. अग्रवाल प्रमोद कुमार ह्◌ूमन जौग्रॉफी ऑफ बस्तर, 1927
10. यादव धमेन्द्र सिंह ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास''
11. माहत्मा गं◌ाधी नरेगा के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावाः एक विश्लेषण
12. महिला सशक्तिकरणः एक पहल
13. महिला सशक्तिकरणः भारतीय परिदृश्य अवलोकन
14. कुरूक्षेत्र 2012 स्व सहायता समूह विशेषांक।
15. एनआरएलएम मार्गदर्शक सिद्धान्त।
16. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010-11।
17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान)।

INNO SPACE

SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor

7.54

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |

www.ijmrset.com